न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–146/2023 दायर दिनांकः 03.07.2023

GCMS NO:- 2023/276 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

पप्पू उर्फ सत्यनारायण पुत्र स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि0 सीसोला

–प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार, जर्ये श्रीयुत तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां।
2. किशन पुत्र स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि. सीसोला तहसील नैनवां।
3. कल्याण पुत्र स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि. सीसोला तहसील नैनवां।
4. बरधीलाल पुत्र स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि. सीसोला तहसील नैनवां।
5. हरिद्वार पुत्र स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि. सीसोला तहसील नैनवां।
6. चन्दू बाई पत्नी स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर नि. सीसोला तहसील नैनवां।
7. संतोष पुत्री स्व0 लादुलाल पत्नी कालूलाल जाति गुर्जर हाल नि0 गोरस्या का खेडा ग्राम पंचायत भवानीपुरा तहसील हिण्डोली।
8. हीरा पुत्री स्व0 लादुलाल पत्नी नन्दा जाति गुर्जर हाल नि0 बिशनपुरा ग्राम पंचायत राजकोट तहसील देवली जिला टोंक।
9. मीरा पुत्री स्व0 लादुलाल जाति गुर्जर पत्नी गिरीराज जाति गुर्जर हाल नि0 ग्राम सुवांसडा तहसील नैनवा।
10. झूमा पुत्री देवा पत्नी देवीलाल जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम खाटरा का बाडा ग्राम पंचायत धोवडा तहसील हिण्डोली।
11. किशनलाल पुत्र स्व0 झमरी जाति गुर्जर नि0 ताकला तहसील नैनवॉ।
12. राधा बाई पुत्री स्व0 झमरी हाल पता पत्नी रामकरण जाति गुर्जर हाल नि0 ग्राम कोलियों की झोपडिया ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली।
13. काली बाई पुत्री स्व0 झमरी हाल पत्नी कैलाश जाति गुर्जर हाल निवासी ग्राम बाड की झोपडिया, रतनपुरा ग्राम पंचायत जजावर तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक कुमार गुर्जर।
अप्रार्थीगण 2 लगायत 13 की ओर से वकील श्री लक्ष्मण कुमार शर्मा।

निर्णय दिनांक 07.05.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की सम्वत् 2076 से 2079 वर्तमान खाता संख्या 23 की कृषि भूमि खसरा संख्या 412 रकबा 1.7555 हैक्टेयर व खसरा संख्या 435 रकबा 0.0809 हैक्टेयर मे दर्ज सहखातेदार झमरी पुत्री देवा की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 13 है। यह कि ग्राम सीसोला की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के वर्तमान खाता संख्या नया 24 के खसरा नम्बर 363/1760 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.4126 हैक्टयर, खसरा नम्बर 836 रकबा 0.1133 हैक्टयर व खसरा नम्बर 837 रकबा 0.1133 हैक्टयर स्थित है जिनका सहखातेदार आसामी प्रार्थी है, जो इसी हैसियत से अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि उक्त दोनों खाता संख्या 23 व 24 के पूर्व खातेदार प्रार्थी के पिता लादुलाल की मृत्यु के उपरान्त खोले गये फोती नामान्तरकरण मे प्रार्थी के पढे लिखे नही होने व गांव मे दो नामों से जानने पहचानने के कारण संह्वन से प्रार्थी के गांव के बोलते नाम पप्पू का अंकन करवा दिये जाने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र लादुलाल गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम सत्यनारायण पुत्र लादुलाल है। यह कि प्रार्थी के पहचान संबंधी एवं बैंक आदि के अन्य समस्त दस्तावेजात मे

र्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र लादुलाल अंकित है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र लादुलाल अंकित होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार व हिस्से की भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम पप्पू पुत्र लादुलाल के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम सत्यनारायण पुत्र लादुलाल दर्ज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण 2 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण कुमार शर्मा द्वारा वकालातनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक प्रार्थना स्वीकार फरमाये जाने मे उन्हे कोई आपत्ती नही है। तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक/भु0अ0/25/2003 दिनांक 7.5.2025 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर बताया कि पटवारी हल्का सीसोला के मौका पर्चा के मुताबिक उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि प्रारम्भ से ही पप्पू को पप्पू व सत्यनारायण दो नामों से जाना जाता था। लादु गुर्जर के पप्पू व सत्यनारायण दो अलग–अलग पुत्र नही है। जब लादु का विरासत का नामान्तरकरण खोला गया तो पटवारी हल्का द्वारा जब ग्राम मे जानकारी की गयी तो ग्रामवासियो ने पप्पू नाम बता दिया जिसके कारण जमाबन्दी मे पप्पू नाम दर्ज हो गया अतः पप्पू और सत्यनारायण दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होने के कारण जमाबन्दी मे पप्पू उर्फ सत्यनारायण पुत्र लादु गुर्जर किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र लादुलाल दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेजों व अन्य सभी दस्तावेजों में सत्यनारायण पुत्र लादुलाल ही दर्ज है जिसको राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित गलत नाम पप्पू पुत्र लादुलाल के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम सत्यनारायण पुत्र लादुलाल दर्ज करवाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत जवाब/रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर आईडी में प्रार्थीया का नाम सत्यनारायण पुत्र लादुलाल अंकित है। प्रकरण में प्रार्थी का नाम पप्पू विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय संह्वन से होना जाहिर आया है जिसके संबंध मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर पप्पू पुत्र लादुलाल के स्थान पर पप्पू उर्फ सत्यनारायण पुत्र लादुलाल करने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला के जमावंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या 23 व 24 में दर्ज "पप्पू पुत्र लादुलाल" के स्थान पर "पप्पू उर्फ सत्यनारायण पुत्र लादुलाल" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ